

# मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन

(संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी)

छठवीं मंजिल, विन्ध्यांचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

दूरभाष क्रमांक- 0755-2576960, Email :midhhorti@mp.gov.in

क्रमांक/उद्यान/MIDH/लक्ष्य/2022-23/160

भोपाल दिनांक:- 27/6/22

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान,  
जिला ..... संबंधित।

विषय:- वर्ष 2022-23 हेतु MIDH अंतर्गत विभिन्न घटकों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रदाय करने बाबत।

----- 000 -----

विषयांतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 के शासन से अनुमोदित भौतिक वित्तीय लक्ष्य संलग्न सूची अनुसार जारी किये जा रहे है।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि योजना के दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :- भौतिक-वित्तीय लक्ष्य की सूची।



(निधि निवेदिता)

मिशन संचालक

भोपाल दिनांक:- 27/6/22

पृ. क्रमांक/उद्यान/MIDH/लक्ष्य/2022-23/ 161

प्रतिलिपि:-

1. प्रबंधन संचालक, एम.पी.एग्रो, पंचानन भवन भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त संलग्न सूची अनुसार भौतिक-वित्तीय लक्ष्य एम.पी.एफ.एस.टी. पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. कलेक्टर सह अध्यक्ष राज्य उद्यानिकी मिशन समिति ..... की ओर भेज कर लेख है कि उपरोक्त लक्ष्यों के सर्वेक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. संयुक्त संचालक उद्यान संभाग ..... की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ती दिशा-निर्देश अनुसार सुनिश्चित करावे।



मिशन संचालक

म.प्र.राज्य उद्यानिकी मिशन

क्र.	घटक	उप घटक	क्र.	रिमांक
1	फल क्षेत्र विस्तार	अंगूर with Drip	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 4.00 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 1.60 लाख/हेक्टेयर, तीन किशतों 60:20:20 के अनुपात में।
			4	प्रथम वर्ष हेतु अधिकतम 0.96 लाख/हेक्टेयर
		ड्रैगन फ्रुट (with drip)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 4.00 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 1.60 लाख/हेक्टेयर, तीन किशतों 60:20:20 के अनुपात में।
			4	प्रथम वर्ष अधिकतम 0.96 लाख/हेक्टेयर
		स्ट्रॉबेरी (without integration)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.25 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टेयर
			4	एक किशत में।
		केला टीसी with Drip	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 3.00 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 1.20 लाख/हेक्टेयर, दो किशतों 75:25 के अनुपात में।
			4	प्रथम वर्ष अधिकतम 0.90 लाख/हेक्टेयर
		केला टीसी Without Integration	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.25 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टेयर, दो किशतों 75:25 के अनुपात में।
			4	प्रथम वर्ष अधिकतम 0.375 लाख/हेक्टेयर
		अमरूद (High Density Planting without integration)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.00 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.40 लाख/हेक्टेयर, तीन किशतों 60:20:20 के अनुपात में।
			4	प्रथम वर्ष अधिकतम 0.24 लाख/हेक्टेयर
		आम (High Density Planting without integration)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.00 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.40 लाख/हेक्टेयर, तीन किशतों 60:20:20 के अनुपात में।
			4	प्रथम वर्ष अधिकतम 0.24 लाख/हेक्टेयर
आंवला High Density Planting without integration.	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर		
	2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.00 लाख/हेक्टेयर		
	3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.40 लाख/हेक्टेयर, तीन किशतों 60:20:20 के अनुपात में।		
	4	प्रथम वर्ष अधिकतम 0.24 लाख/हेक्टेयर		
संतरा/मौसम्बी (Cost intensive crops using normal spacing) without integration	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर		
	2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.60 लाख/हेक्टेयर		
	3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.30 लाख/हेक्टेयर, तीन किशतों 60:20:20 के अनुपात में।		
	4	प्रथम वर्ष अधिकतम 0.18 लाख/हेक्टेयर		
2	सब्जी क्षेत्र विस्तार	संकर सब्जी	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 2.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.50 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.20 लाख/हेक्टेयर।
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	कटे पुष्प (Cut Flowers) (छोटे एवं मझोले किसान)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 2.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.00 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.40 लाख/हेक्टेयर।
		कटे पुष्प (Cut Flowers) (अन्य किसान)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 2.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.00 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 0.25 लाख/हेक्टेयर।
		Bulbous Flower (छोटे एवं मझोले किसान)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 2.00 हेक्टेयर
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.50 लाख/हेक्टेयर
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.60 लाख/हेक्टेयर।

क्र.	घटक	उप घटक	क्र.	रिमांक		
	पुष्प क्षेत्र विस्तार	Bulbulous Flower (अन्य किसान)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 2.00 हेक्टेयर		
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.50 लाख/हेक्टेयर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 0.375 लाख/हेक्टेयर।		
		Loose Flower (छोटे एवं मझोले किसान)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 2.00 हेक्टेयर		
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.40 लाख/हेक्टेयर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.16 लाख/हेक्टेयर।		
		Loose Flower (अन्य किसान)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 2.00 हेक्टेयर		
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.40 लाख/हेक्टेयर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 0.10 लाख/हेक्टेयर।		
4	मसाला क्षेत्र विस्तार	मसाला फसलें	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर		
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.30 लाख/हेक्टेयर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.12 लाख/हेक्टेयर।		
		बारहमासी मसाले (काली मिर्च)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4.00 हेक्टेयर		
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.50 लाख/हेक्टेयर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.20 लाख/हेक्टेयर।		
5	जल स्रोतों का सृजन	व्यक्तिगत हेतु जल संवयन प्रणाली - (20x20x03 मीटर क्षेत्रफल वाले तालाब/ नलकूप /कुंए हेतु 125 रूपये/घनमीटर की दर से)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक		
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.50 लाख/इकाई		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.75 लाख प्रति इकाई गैट लाईनिंग तालाब/टंकी (काली कपास मृदा क्षेत्र हेतु इकाई लागत का 20 प्रतिशत।		
6	संरक्षित खेती	पॉली हाउस > 500 sqm up to 1008 sqm	1	लाभ क्षेत्र - > 500 sqm up to 1008 sqm		
			2	निर्धारित इकाई लागत - 935 रूपये/वर्ग मीटर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत		
		पॉली हाउस > 1008 sqm up to 2080 sqm	1	लाभ क्षेत्र - > 1008 sqm up to 2080 sqm		
			2	निर्धारित इकाई लागत - 890 रूपये/वर्ग मीटर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत		
		पॉली हाउस > 2080 sqm up to 4000 sqm	1	लाभ क्षेत्र - > 2080 sqm up to 4000 sqm		
			2	निर्धारित इकाई लागत - 844 रूपये/वर्ग मीटर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत		
		शेडनेट हाउस	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4000 वर्ग मीटर		
			2	निर्धारित इकाई लागत - 710 रूपये/वर्ग मीटर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत		
		प्लास्टिक मल्टिप्लिंग	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 2 वर्ग हेक्टेयर		
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.32 लाख/वर्ग हेक्टेयर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत		
		पॉली हाउस अंतर्गत सब्जी उच्च रोपण सामग्री	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 4000 वर्ग मीटर		
			2	निर्धारित इकाई लागत - 140 रूपये/वर्ग मीटर		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत		
		7	जैविक खेती को अपनाना	वर्मी वेड HDEP	1	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.16 लाख/इकाई
					2	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.08 लाख/इकाई।
		8	मधुमक्खी पालन	छत्ते	1	अधिकतम लाभ - प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 छत्ते।
2	निर्धारित इकाई लागत - 8 फ्रेम वाले प्रति छत्ता 2000 रूपये					
3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.008 लाख/इकाई।					
पेटिका	1			अधिकतम लाभ - प्रति लाभार्थी 0.02 लाख/पेटिका अधिकतम 50 पेटिका।		
	2			निर्धारित इकाई लागत - 2000 रूपये प्रति पेटिका।		
	3			कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.008 लाख/इकाई।		
पालन सेट	1			अधिकतम लाभ - प्रति लाभार्थी 1 सेट।		
	2			निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.20 लाख/सेट		
	3			कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.08 लाख/इकाई।		
9	फसलोत्तर प्रबंधन	पैक हाउस 9Mx6M Size	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक		
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 4.00 लाख प्रति इकाई		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख प्रति इकाई।		
		समेकित भंडार गृह 9Mx18M Size	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक		
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 50.00 लाख प्रति इकाई		
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 17.50 लाख प्रति इकाई, बैंक ऋण के आधार पर।		

क्र.	घटक	उप घटक	क्र.	रिमांक
	फसलोत्तर प्रबंधन	कम लागत वाले प्याज भंडार गृह (25 मी.टन)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 1.75 लाख प्रति इकाई
			3	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.875 लाख प्रति इकाई।
10	बागवानी यंत्रिकरण	ट्रेक्टर ( Upto 20 PTO HP )	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 3.00 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - सामान्य वर्ग के लिए इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 0.75 लाख प्रति यंत्र।
		ट्रेक्टर ( Upto 20 PTO HP ) (SC&ST SF/MF)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 3.00 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख प्रति यंत्र।
		ट्रेक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) भूमि विकास, जुताई और रोपाई करने वाले उपकरण	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.30 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - सामान्य वर्ग के लिए इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.12 लाख प्रति यंत्र।
		ट्रेक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) भूमि विकास, जुताई और रोपाई करने वाले उपकरण (SC&ST SF/MF)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.30 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.15 लाख प्रति यंत्र।
		ट्रेक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) बुआई, रोपाई और खुदाई के उपकरण	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.30 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - सामान्य वर्ग के लिए इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.12 लाख प्रति यंत्र।
		ट्रेक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) बुआई, रोपाई और खुदाई के उपकरण (SC&ST SF/MF)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.30 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.15 लाख प्रति यंत्र।
		ट्रेक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) प्लास्टिक मल्व लगाने वाला उपकरण	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.70 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - सामान्य वर्ग के लिए इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.28 लाख प्रति यंत्र।
		ट्रेक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) प्लास्टिक मल्व लगाने वाला उपकरण (SC&ST SF/MF)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.20 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.35 लाख प्रति यंत्र।
		ट्रेक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) स्वचालित बागवानी यंत्र (SC&ST SF/MF)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 2.50 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1.25 लाख प्रति यंत्र।
		यंत्रचालित नैपसैक स्प्रेयर/विद्युत चलित स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.20 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - सामान्य वर्ग के लिए इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 0.08 लाख प्रति यंत्र।
		यंत्रचालित नैपसैक स्प्रेयर/विद्युत चलित स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर) (SC&ST SF/MF)	1	अधिकतम लाभ क्षेत्र - 01 यूनिट प्रति कृषक
			2	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.70 लाख प्रति यंत्र
			3	कुल देय अनुदान दर - लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.10 लाख प्रति यंत्र।
11	बागवानी उत्पादन हेतु विपणन ढांचे की स्थापना	ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी/प्रत्यक्ष बाजार	1	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 25.00 लाख प्रति Market
			2	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10.00 लाख प्रति मार्केट ।
		स्थिर/चलित विक्रय ठैला/शीत कक्ष के साथ प्लेटफार्म	1	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 0.30 लाख प्रति इकाई
			2	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.15 लाख प्रति मार्केट ।
		संचयन/प्रथक्कन/प्रेडिंग, पैकिंग इकाई इत्यादि	1	निर्धारित इकाई लागत - रूपये 15.00 लाख प्रति इकाई
			2	कुल देय अनुदान दर - इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 6.00 लाख प्रति मार्केट ।